



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : SEPTEMBER 3, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

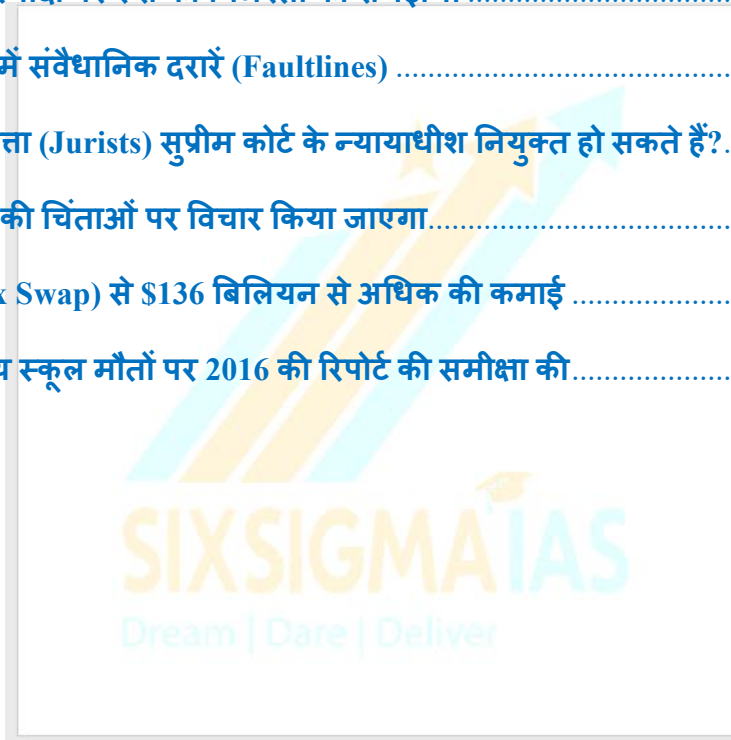


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल वार्मिंग-सीमा उल्लंघन को प्रबंधित करने का मार्ग तैयार किया.....	2
2. सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के नीतिगत निर्णयों की निगरानी का आदेश दिया.....	4
3. पोलावरम नहर के जरिए गोदावरी उत्तरी आंध्र प्रदेश पहुंची	5
4. पिचावरम मेंगोव का मूल्य ₹2,485 करोड़ आंका गया: अध्ययन.....	7
5. भारत-चीन सीमा वार्ता में "प्रारंभिक और पर्याप्त उपलब्धि" (Early and Substantial Harvest) का संचालन.....	8
6. अमेरिकी शुल्क जोखिमों के प्रति भारत के जोखिम (Exposure) को कम करना.....	10
7. भारतीय पेट्रोलियम उत्पादों पर रूस की निर्भरता को समझना	12
8. एफसीआरए विधेयक में संवैधानिक दरारें (Faultlines)	13
9. क्या प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Jurists) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं?.....	15
10. गंगा संधि पर बिहार की चिंताओं पर विचार किया जाएगा.....	16
11. फॉरेक्स स्वैप (Forex Swap) से \$136 बिलियन से अधिक की कमाई	18
12. सरकार ने जनजातीय स्कूल मौतों पर 2016 की रिपोर्ट की समीक्षा की.....	19



1. संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल वार्मिंग-सीमा उल्लंघन को प्रबंधित करने का मार्ग तैयार किया

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- 1.5°C की सीमा का अपरिहार्य उल्लंघन:** संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की *लिमिटिंग ओवरशूट* (Limiting Overshoot) शीर्षक वाली एक ऐतिहासिक रिपोर्ट चेतावनी देती है कि 2015 के पेरिस समझौते के तहत निर्धारित 1.5°C के ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्य को पार करना (उल्लंघन) अब अपरिहार्य हो गया है और यह अगले कुछ वर्षों के भीतर घटित होगा।
- नया "ओवरशूट, पीक और डिक्लाइन" ढांचा:** UNEP ने एक विस्तृत मार्ग (pathway) पेश किया है जिसका उद्देश्य ओवरशूट चरण के दौरान चरम (peak) तापमान को जितना संभव हो उतना कम रखना है और 2100 तक उन्हें वापस 1.5°C से नीचे लाना है।

- वर्तमान प्रतिबद्धताओं की अपर्याप्तता:** यदि सभी देश अपने राष्ट्रीय जलवायु संकल्पों और नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से लागू करते हैं, तब भी चरम ग्लोबल वार्मिंग 1.8°C तक पहुँच जाएगी; वर्तमान आधारभूत नीतियां 2100 तक विनाशकारी 2.6°C वृद्धि (1.9°C और 3.6°C के बीच) की ओर इशारा करती हैं।
- चक्रवृद्धि पारिस्थितिक और आर्थिक लागत:** 1.5°C से ऊपर की लंबी अवधि अपूरणीय क्षति का जोखिम पैदा करती है, जिसमें समुद्र के स्तर में त्वरित वृद्धि, प्रवाल भित्तियों (coral reefs) का तेजी से ढहना, 2100 तक वैश्विक ग्लेशियर द्रव्यमान के एक तिहाई से अधिक का नुकसान, और बिना अनुकूलन के 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन में 14% तक की गिरावट शामिल है।
- विलंबित कार्रवाई का बढ़ता बोझ:** निरंतर उच्च उत्सर्जन के प्रत्येक पांच वर्ष चरम वार्मिंग में लगभग 0.1°C जोड़ते हैं, जिसे वापस उलटने के लिए वातावरण से अतिरिक्त 220 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की आवश्यकता होगी।
- मीथेन में कमी पर अल्पकालिक ध्यान:** संयुक्त राष्ट्र ने निकट-अवधि की वार्मिंग को धीमा करने के लिए मीथेन शमन को सबसे प्रभावी एकल लीवर के रूप में रेखांकित किया, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (CDR) को गहरे उत्सर्जन में कटौती का विकल्प नहीं, बल्कि पूरक होना चाहिए।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- तापमान ओवरशूट (Temperature Overshoot):** एक जलवायु परिदृश्य जिसमें वैश्विक औसत तापमान कार्बन निष्कासन प्रयासों द्वारा तापमान को वापस नीचे लाने से पहले अस्थायी रूप से एक निर्दिष्ट लक्ष्य सीमा (जैसे पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5°C ऊपर) से अधिक हो जाता है।
- कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (CDR):** मानवजनित गतिविधियाँ जो जानबूझकर वायुमंडल से CO_2 को हटाती हैं और इसे भूवैज्ञानिक, स्थलीय, या महासागरीय जलाशयों या उत्पादों में स्थायी रूप से संग्रहीत करती हैं।
- शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emissions):** वह संतुलन जो तब प्राप्त होता है जब वायुमंडल में मानव निर्मित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को एक निर्दिष्ट अवधि में मानव-प्रारंभिक ग्रीनहाउस गैस निष्कासन द्वारा पूरी तरह से बेअसर कर दिया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- पेरिस समझौता (2015):** UNFCCC ढांचे के तहत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य पूर्व-औद्योगिक स्तरों से वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखना है, जबकि इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A:** राज्य को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जलवायु से प्रेरित क्षरण से वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(g):** वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए प्रत्येक नागरिक के लिए एक मौलिक कर्तव्य स्थापित करता है।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC):** भारत की वैधानिक नीति छतरी जिसमें जलवायु लचीलापन बनाने, अनुकूलन क्षमता बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

UNEP की रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि यद्यपि 1.5°C से आगे ओवरशूट अब टालने योग्य नहीं है, लेकिन इसके परिमाण और अवधि को प्रबंधित करना मानवीय नियंत्रण में है। स्थायी ग्रहीय टिपिंग पॉइंट्स को रोकने और विश्व स्तर पर गंभीर सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए प्रकृति-आधारित और तकनीकी कार्बन निष्कासन के साथ-साथ त्वरित मीथेन शमन को लागू करना अनिवार्य है।

यूपीएससी प्रासंगिकी (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III (पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन):** जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों, UNEP रिपोर्ट, ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्यों, कार्बन बजट, अनुकूलन अंतराल और अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधियों पर विषयों के लिए प्रत्यक्ष प्रासंगिकता।
- मुख्य परीक्षा अनुप्रयोग (Mains Application):** जलवायु ओवरशूट परिदृश्यों, नेट-जीरो लक्ष्यों की व्यवहार्यता, हानि और क्षति (loss and damage) ढांचे, और वैश्विक कार्बन निष्कासन प्रयासों में इक्विटी पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विश्लेषणात्मक संदर्भ प्रदान करता है।

2. सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के नीतिगत निर्णयों की निगरानी का आदेश दिया

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- BCI नेतृत्व की प्रो-टेम (Pro Tem) स्थिति:** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा केवल आगामी चुनावों के सह-नामित (co-terminus) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के "प्रो-टेम" अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वर्तमान पदाधिकारियों को केवल दिन-प्रतिदिन के नियमित संचालन को संभालने की अनुमति मिलती है।
- अनिवार्य कार्यकारी परामर्श:** शीर्ष अदालत ने BCI को संस्थागत विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर भारत के अटॉर्नी-जनरल और सॉलिसिटर-जनरल (पदेन सदस्य) को पूर्व सूचना देने और परामर्श करने का निर्देश दिया।
- वित्तीय आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट की जांच:** मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने BCI पर्ल फर्स्ट ट्रस्ट, गोवा में 56 एकड़ भूमि गठजोड़ और करोड़ों रुपये के सम्मान समारोहों पर व्यय से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच के लिए हस्तक्षेप किया।
- NALSAR निर्देशों को रद्द करना:** सुप्रीम कोर्ट ने NALSAR स्नातकों के नामांकन को रोकने का प्रयास करने वाले BCI के आदेशों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि काउंसिल के पास अधिवक्ताओं के रूप में उनके पंजीकरण से पहले कानून के छात्रों पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।
- नियामक अधिकार क्षेत्र की सीमाएं:** अदालत ने स्थापित किया कि छात्रों का आचरण और शैक्षणिक अनुशासन पेशेवर नियामक निकायों के बजाय संबंधित विश्वविद्यालयों के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में रहता है।
- संस्थागत अखंडता की सुरक्षा:** "शैडो-बॉक्सिंग" को रोकने और भारत के वैधानिक कानूनी निकायों के भीतर नियामक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक समझा गया था।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI):** अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत बनाया गया एक वैधानिक निकाय, जो कानूनी पेशे को विनियमित करने, पेशेवर नैतिकता को लागू करने और पूरे भारत में कानूनी शिक्षा के मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।
- प्रो-टेम अध्यक्ष (Pro Tem Chairperson):** नियमित चुनाव द्वारा औपचारिक शासी निकाय का पुनर्गठन होने तक प्रशासनिक दिनचर्या को प्रबंधित करने के लिए नामित एक अस्थायी पीठासीन अधिकारी।
- पदेन सदस्य (Ex-Officio Member):** किसी अन्य आधिकारिक पद को धारण करने के आधार पर बोर्ड या समिति में पद धारण करने वाला व्यक्ति, जैसे BCI में अटॉर्नी-जनरल।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अधिवक्ता अधिनियम, 1961:** BCI और राज्य बार कौंसिलों की स्थापना करने वाला वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, जो पंजीकृत अधिवक्ताओं पर अधिकार प्रदान करता है जबकि नामांकन से पूर्व छात्र अनुशासनात्मक नियंत्रण को बाहर करता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता और वैधानिक नियामक प्राधिकरणों द्वारा मनमाने या अकारण प्रशासनिक निर्णयों के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g):** किसी भी पेशे का अभ्यास करने के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, जिसे क्षेत्राधिकार से बाहर (ultra vires) नियामक निर्देशों के माध्यम से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142:** सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय लागू करने और वैधानिक निकायों में संस्थागत विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

BCI पर उच्च-कानून अधिकारी निगरानी लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का जनादेश नियामक अधिकार क्षेत्र की सीमाओं की पुष्टि करता है। कार्यकारी अतिरेक को रोकना और शैक्षणिक स्वायत्तता की रक्षा करना कानूनी नियामक संस्थाओं के भीतर संवैधानिक जवाबदेही को मजबूत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकी (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** वैधानिक नियामक निकायों, प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा, पेशेवर नियामक मानकों और कानूनी नैतिकता से संबंधित प्रश्नों के लिए सीधे प्रासंगिक।
- मुख्य परीक्षा अनुप्रयोग (Mains Application):** संस्थागत जवाबदेही, शक्तियों के पृथक्करण, पेशेवर स्वायत्तता बनाम नियामक अतिरेक, और छात्रों के संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा के लिए विश्लेषणात्मक मिसाल प्रदान करता है।

3. पोलावरम नहर के जरिए गोदावरी उत्तरी आंध्र प्रदेश पहुंची

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- उत्तरी आंध्र प्रदेश के लिए मील का पत्थर जल प्रवाह:** आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अनकापल्ली जिले के पीएल पुरम गांव में पोलावरम वाम मुख्य नहर के माध्यम से उत्तरांधरा (उत्तरी आंध्र) क्षेत्र में गोदावरी का पानी छोड़ा।
- बुनियादी ढांचा निवेश और दायरा:** ₹4,192 करोड़ की कुल लागत से निष्पादित, नहर नेटवर्क को कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- कृषि और घरेलू लाभ:** यह परियोजना 4 लाख एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई का पानी प्रदान करेगी और पूरे क्षेत्र के लगभग 9.23 लाख लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएगी।
- औद्योगिक जल वृद्धि:** नहर प्रणाली पूर्वी गोदावरी, काकीनाडा, कोनासीमा, अनकापल्ली और विशाखापत्तनम जिलों के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक जल आवश्यकताओं को पूरा करती है।
- रणनीतिक नदी जोड़ो लक्ष्य:** यह पहल बेसिन-स्तरीय जल उपयोग को अनुकूलित करने के लिए गोदावरी को वंशधारा और कृष्णा नदियों के साथ जोड़ने के एक व्यापक रोडमैप का हिस्सा है।
- प्रशासनिक पुनर्गठन का प्रभाव:** इस परियोजना का पूरा होना तेलंगाना के सात मंडलों के आंध्र प्रदेश में वैधानिक विलय पर निर्भर करता है, जिससे पोलावरम बुनियादी ढांचे के निरंतर निष्पादन की अनुमति मिलती है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- पोलावरम सिंचाई परियोजना:** आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन एक प्रमुख बहुउद्देशीय राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना, जिसे अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- उत्तरांधरा (उत्तरी आंध्र):** आंध्र प्रदेश का एक तटीय भौगोलिक क्षेत्र जिसमें अनकापल्ली, विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जैसे जिले शामिल हैं।
- अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण (Inter-Basin Water Transfer):** क्षेत्रीय हाइड्रोलॉजिकल असंतुलन को संतुलित करने के लिए अधिशेष नदी बेसिन से जल-अभाव वाले बेसिन में सतही जल का कृत्रिम परिवहन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014:** धारा 55 पोलावरम सिंचाई परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करती है, जो इसके निष्पादन और वित्तपोषण को केंद्र सरकार की देखरेख में रखती है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262:** अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है।
- अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** गोदावरी जैसी नदी घाटियों को साझा करने वाले तटीय राज्यों के बीच वैधानिक आवंटन और विवाद समाधान ढांचे को नियंत्रित करता है।
- सातवीं अनुसूची (सूची II, प्रविष्टि 17):** सूची I प्रविष्टि 56 (अंतरराज्यीय नदियाँ) के अधीन रहते हुए जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध और जल भंडारण को राज्य सूची में सौंपती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

पोलावरम वाम मुख्य नहर का संचालन उत्तरांधरा में क्षेत्रीय जल असमानताओं को दूर करने में एक बड़ा कदम है। प्रमुख तटीय नदियों को सफलतापूर्वक जोड़ना जल प्रबंधन को अनुकूलित करता है, कृषि में जलवायु लचीलेपन को मजबूत करता है, और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को तेज करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकी (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर I (भूगोल):** भारतीय जल निकासी प्रणालियों, अंतर-बेसिन नदी हस्तांतरण, प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय भूगोल और गोदावरी बेसिन जल विज्ञान पर प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
- जीएस पेपर III (कृषि और बुनियादी ढांचा):** सिंचाई प्रणालियों, जल संसाधन प्रबंधन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और ग्रामीण आर्थिक विकास को कवर करने वाले विषयों के लिए सीधे लागू।

4. पिचावरम मैंग्रोव का मूल्य ₹2,485 करोड़ आंका गया: अध्ययन**मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)**

- व्यापक कुल आर्थिक मूल्यांकन:** इकोनॉमिक वैल्यूएशन एंड ब्लू कार्बन असेसमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इन द पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट शीर्षक वाले एक अध्ययन ने इसके कुल आर्थिक मूल्य (TEV) का अनुमान ₹2,485.38 करोड़ लगाया, जो ₹1.83 करोड़ प्रति हेक्टेयर है।
- महत्वपूर्ण ब्लू कार्बन सिंक संपत्ति:** पिचावरम पारिस्थितिकी तंत्र का कुल ब्लू कार्बन संपत्ति मूल्य ₹1,612.40 करोड़ है, जो जलवायु विनियमन के लिए एक प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।
- मृदा कार्बनिक कार्बन घनत्व:** मैंग्रोव तलछट वनस्पति की तुलना में बहुत बड़ा कार्बन भंडार बनाते हैं, जिसमें औसतन 251.14 टन प्रति हेक्टेयर (मूल्य ₹90.24 लाख/हेक्टेयर) का मृदा कार्बनिक कार्बन स्टॉक होता है।
- सामाजिक-आर्थिक आजीविका एंकर:** पांच स्थानीय गांवों (एमजीआर थिट्टू, कलैगनार नगर, चित्रवैकल, पटरियाडी और मुदाशलोदाई) में 302 घरों के क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर, यह जंगल सीधे स्थानीय मत्स्य पालन, जैव विविधता और तटीय सुरक्षा का समर्थन करता है।
- तटीय नीति में एकीकरण:** अध्ययन मुख्यधारा के तटीय विकास योजना और पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्यांकन (ESV) को एकीकृत करने की वकालत करता है।
- अभिनव जलवायु वित्त तंत्र:** मैंग्रोव को प्रकृति-आधारित समाधानों के रूप में मान्यता देने के लिए ब्लू कार्बन वित्तपोषण मॉडल, कार्बन क्रेडिट व्यापार कार्यक्रम और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान (PES) योजनाओं को विकसित करने की सिफारिश करता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- कुल आर्थिक मूल्य (TEV):** एक समग्र मूल्यांकन ढांचा जो उपयोग मूल्यों (मत्स्य पालन, पर्यटन जैसे प्रत्यक्ष प्रावधान) और गैर-उपयोग/पारिस्थितिक मूल्यों (कार्बन पृथक्करण, तटीय बफरिंग) को जोड़ता है।
- ब्लू कार्बन:** मैंग्रोव, साल्ट मार्श और सीग्रास बेड जैसे तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा कब्जा कर लिया गया, अलग किया गया और दीर्घकालिक रूप से संग्रहीत वायुमंडलीय कार्बन।
- पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान (PES):** एक बाजार-आधारित संरक्षण साधन जहां पर्यावरणीय सेवाओं के लाभार्थी महत्वपूर्ण प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने के लिए संसाधन प्रबंधकों या स्थानीय समुदायों को भुगतान करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** नाजुक तटीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र के भीतर गतिविधियों को विनियमित करने के लिए प्राथमिक वैधानिक छत्र प्रदान करता है।
- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2019:** मैंग्रोव को CRZ-I A (पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र) के रूप में वर्गीकृत करती है, जो विनाशकारी वाणिज्यिक गतिविधियों के खिलाफ सर्वोच्च स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002:** जैव विविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से तटीय जैविक संसाधनों के सतत उपयोग, न्यायसंगत लाभ-साझाकरण और समुदाय-नेतृत्व वाली सुरक्षा को अनिवार्य करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 48A और 51A(g):** राज्य को निर्देश देता है और नागरिकों पर तटीय वनों और समुद्री आवासों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का एक मौलिक कर्तव्य लगाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

गैर-बाजार पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का परिमाणीकरण पारंपरिक अर्थशास्त्र और तटीय संरक्षण के बीच अंतर को पाटता है। राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई ढांचे में ब्लू कार्बन संपत्तियों को एकीकृत करना पिचावरम जैसे संवेदनशील मैंग्रोव बेल्ट को आत्मनिर्भर पारिस्थितिक पूंजी और लचीले प्राकृतिक बुनियादी ढांचे में बदल देता है।

यूपीएससी प्रासंगिकी (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III (पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन):** मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन, ब्लू कार्बन तंत्र, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा प्रबंधन के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को कवर करने वाले विषयों के लिए सीधे प्रासंगिक।
- मुख्य परीक्षा अनुप्रयोग (Mains Application):** प्राकृतिक पूंजी लेखांकन, पर्यावरण लागत-लाभ विश्लेषण, मिष्टी (MISHTI) पहल कार्यान्वयन और सतत तटीय क्षेत्र प्रबंधन पर प्रश्नों के लिए ठोस मात्रात्मक साक्ष्य के रूप में कार्य करता है।

5. भारत-चीन सीमा वार्ता में "प्रारंभिक और पर्याप्त उपलब्धि" (Early and Substantial Harvest) का संचालन

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- "प्रारंभिक उपलब्धि" ढांचे का पुनरुत्थान:** बीजिंग में आयोजित 25वीं विशेष प्रतिनिधि (SR) बैठक (अगस्त 2026) में "परिणामों और सहमति के आठ बिंदु" जारी किए गए, जिसने "प्रारंभिक और पर्याप्त उपलब्धि" (Early and Substantial Harvest) के लिए सीमा परिसीमन पर एक विशेषज्ञ समूह के माध्यम से चर्चा को पुनर्जीवित किया।
- भारतीय जवाबी प्रस्ताव की उत्पत्ति:** "प्रारंभिक और पर्याप्त उपलब्धि" का प्रस्ताव मूल रूप से भारत द्वारा 2019 के आसपास रखा गया था, जिसमें उच्चतम-जलसम्भर सिद्धांत (highest-watershed principle) के आधार पर सिक्किम और मध्य क्षेत्रों के एक साथ समाधान की वकालत की गई थी।

- अंशकालिक निपटान के जोखिम:** मध्य और सिक्किम क्षेत्रों के केवल निर्विवाद हिस्सों का निपटान करने से 2005 के समझौते के अनुच्छेद III में उल्लिखित "पैकेज निपटान" सिद्धांत को कमजोर करने का जोखिम है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के कठिन मुद्दों को चीनी शर्तों ("दोंग तिआओ शी रंग" - पूर्व में मांगना, पश्चिम में देना) पर खुला छोड़ दिया जाता है।
- सिक्किम क्षेत्र में अस्पष्टताएं:** 1890 के एंग्लो-चाइनीज कन्वेंशन की पारस्परिक मान्यता के बावजूद, इसके जलसम्भर क्लॉज (watershed clause) और माउंट गिपमोची के संदर्भ के बीच अंतर्विरोध डोका-ला/गिपमोची ट्राइजंक्शन (डोकलाम के पास) और जमफेरी रिज के आसपास एक रणनीतिक भेद्यता पैदा करते हैं।
- भूटान और सिलीगुड़ी के लिए रणनीतिक निहितार्थ:** सिक्किम ट्राइजंक्शन पर एक समयपूर्व या त्रुटिपूर्ण द्विपक्षीय निपटान भूटान को चीनी "पैकेज प्रस्ताव" (डोकलाम पठार के बदले उत्तरी क्षेत्र का आदान-प्रदान) के खिलाफ सलाह देने की भारत की स्थिति से समझौता कर सकता है, जिससे महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर जोखिम में पड़ सकता है।
- प्रक्रियात्मक अंतर्विरोध और सीमा पार जल विज्ञान:** 2005 के समझौते के अनुच्छेद X के तहत एक "सहमत ढांचे" को अंतिम रूप देने से पहले एक विशेषज्ञ समूह के माध्यम से "परिसीमन" शुरू करना प्रक्रियात्मक व्युत्क्रमण (procedural inversion) का जोखिम उठाता है; इसके अलावा, यह संवाद यारलुंग त्सांगपो पर चीन की मेडोग महा-बांध (mega-dam) परियोजना पर प्रमुख चिंताओं को अनसुलझा छोड़ देता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- प्रारंभिक और पर्याप्त उपलब्धि (Early and Substantial Harvest):** एक कूटनीतिक तंत्र जहां वार्ताकार पक्ष एक व्यापक अंतिम समझौते से पहले सीमा विवाद के सहमति-समर्थित, कम-विवाद वाले क्षेत्रों को अंतिम रूप देने और लागू करने पर सहमत होते हैं।
- उच्चतम-जलसम्भर सिद्धांत (Highest-Watershed Principle):** अंतर्देशीय सीमांकन के लिए प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत जहां सीमा आसन्न नदी घाटियों को अलग करने वाले उच्चतम जल-विभाजन की प्राकृतिक रेखा का अनुसरण करती है।
- पैकेज निपटान (Package Settlement):** एक समग्र बातचीत ढांचा जहां सभी क्षेत्रों (पश्चिमी, मध्य, सिक्किम और पूर्वी) के विवादों को अंशकालिक सौदों के बजाय पारस्परिक क्रॉस-सेक्टर रियायतों के माध्यम से एक साथ हल किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर 2005 का समझौता:** मार्गदर्शक द्विपक्षीय कानूनी दस्तावेज जिसका अनुच्छेद III "सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले पैकेज निपटान" का जनादेश देता है, और अनुच्छेद X विशेष प्रतिनिधियों को औपचारिक परिसीमन/सीमांकन से पहले एक "सहमत ढांचा" स्थापित करने का निर्देश देता है।
- विशेष प्रतिनिधियों के बीच 2012 की आम सहमति:** यह स्थापित करती है कि तीसरे देशों (जैसे भूटान) को शामिल करने वाले ट्राइजंक्शन बिंदुओं को संबंधित राष्ट्र के साथ आपसी परामर्श के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

- **1890 का एंग्लो-चाइनीज कन्वेंशन:** सिक्किम क्षेत्र के लिए सीमा आधार रेखा स्थापित करने वाली ऐतिहासिक संधि, जिसमें जलसम्भर सिद्धांतों और विशिष्ट स्थलाकृतिक मार्करों के बीच आंतरिक अंतर्विरोध शामिल हैं।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतरराष्ट्रीय कानून, संधि दायित्वों और अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी "प्रारंभिक उपलब्धि" 2005 के राजनीतिक मापदंडों को कमजोर किए बिना सिक्किम और मध्य दोनों क्षेत्रों में उच्चतम-जलसम्भर सिद्धांत का सख्ती से पालन करे। अल्पकालिक कूटनीतिक दृष्टिकोण से दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिति से समझौता नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से संवेदनशील ट्राइजंक्शनों के संबंध में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर और व्यापक यूरेशियाई सुरक्षा की रक्षा करते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकी (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा):** भारत और उसके पड़ोसी, चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध, सीमा प्रबंधन ढांचा, रणनीतिक स्वायत्तता, और सीमा पार नदी जल विज्ञान पर विषयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
- **मुख्य परीक्षा अनुप्रयोग (Mains Application):** भारत-चीन विश्वास-निर्माण उपायों (CBMs), SR-स्तरीय वार्ताओं की व्यवहार्यता, चुम्बी घाटी/डोकलाम क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा, और अंतरराष्ट्रीय सीमा समझौतों की वैधानिकता का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक सामग्री प्रदान करता है।

6. अमेरिकी शुल्क जोखिमों के प्रति भारत के जोखिम (Exposure) को कम करना

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **2026 का लिंडसे ओ. ग्राहम अधिनियम:** अमेरिकी सीनेट ने एक विधायी अधिनियम पारित किया जो रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के शीर्ष पांच आयातकों पर 100% तक शुल्क (tariffs) लगाने का अधिकार देता है यदि नई खरीदारी जारी रहती है।
- **रूसी आयात में भारी वृद्धि:** रूसी कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता रूस-यूक्रेन संघर्ष से पहले के 2% से बढ़कर उसके कुल आयात का लगभग 50% हो गई, जो जनवरी 2026 में 4.54 MMT से बढ़कर मई 2026 तक 8.96 MMT हो गई।
- **संचयी शुल्क वृद्धि का जोखिम:** धारा 301 बंधुआ श्रम शुल्क (10%) के साथ मिलकर, प्रस्तावित प्रतिबंध अमेरिका को भारतीय निर्यात पर संचयी 110% शुल्क लगा सकता है, जिससे मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता गंभीर रूप से कम हो सकती है।
- **प्रतिबंधों के तहत गंभीर आर्थिक प्रभाव:** GTAP मॉडल सिमुलेशन दिखाते हैं कि 110% शुल्क परिदृश्य से भारत को \$47 बिलियन का कल्याणकारी नुकसान (welfare loss) होता है, साथ ही कुल निर्यात में 5.1% का संकुचन और आयात में 5.2% की कमी आती है।

- **निर्यात विविधीकरण के माध्यम से शमन:** वैकल्पिक व्यापार चैनलों को लागू करना—जैसे कि एक कार्यात्मक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA)—आर्थिक नुकसान को उलट देता है, जिससे \$26.3 बिलियन का कल्याणकारी लाभ और कुल निर्यात में 3.1% की वृद्धि होती है।
- **पूरक संरचनात्मक सुधार:** विविधीकरण रणनीतियों को व्यापार सुविधा, रसद उन्नयन, गैर-शुल्क बाधाओं को हटाने और गुणवत्ता स्तर को ऊपर उठाने सहित घरेलू संरचनात्मक सुधारों का समर्थन करने की आवश्यकता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 (Section 301 of the Trade Act of 1974):** एक अमेरिकी वैधानिक प्रावधान जो कार्यकारी शाखा को व्यापार समझौतों का उल्लंघन करने वाले या अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलग्न विदेशी देशों के खिलाफ एकतरफा शुल्क की जांच करने और उन्हें लागू करने का अधिकार देता है।
- **ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस प्रोजेक्ट (GTAP):** वैश्विक व्यापार नीतियों, शुल्क परिवर्तनों और आर्थिक झटकों के संरचनात्मक प्रभावों को मापने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक बहु-क्षेत्रीय, बहु-क्षेत्र सामान्य संतुलन मॉडल।
- **निर्यात विविधीकरण (Export Diversification):** एकल-बाजार जोखिम को कम करने के लिए घरेलू निर्यात के लिए भौगोलिक बाजारों और उत्पाद श्रेणियों की सीमा को व्यापक बनाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक व्यापार नीति।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** विदेश नीति और रणनीतिक संबंधों को व्यवस्थित करने में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** केंद्र सरकार को बाहरी झटकों को कम करने के लिए भारत की विदेश व्यापार नीति (FTP) को तैयार करने, लागू करने और समायोजित करने का कानूनी अधिकार देता है।
- **डब्ल्यूटीओ शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT 1994):** सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) सिद्धांतों को स्थापित करता है और एकतरफा शुल्क वृद्धि को सीमित करता है, जो डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान ढांचे के तहत एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहारा तंत्र प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

जबकि रूस से रणनीतिक ऊर्जा खरीद भारत की तत्काल ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करती है, संभावित अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंध व्यापार जोखिम पैदा करते हैं। बाहरी संवेदनशीलता से बचाव के लिए बाजार विविधीकरण प्रयासों—जैसे कि भारत-ईयू एफटीए को अंतिम रूप देना—को घरेलू व्यापार सुविधा और रसद सुधारों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकी (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था और व्यापार):** विदेश व्यापार नीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार झटके, शुल्क बाधाएं, GTAP मॉडलिंग और ऊर्जा सुरक्षा पर विषयों के लिए सीधे प्रासंगिक।

- जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों, द्वितीयक प्रतिबंधों, व्यापार कूटनीति और आर्थिक बहुपक्षवाद का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक।

7. भारतीय पेट्रोलियम उत्पादों पर रूस की निर्भरता को समझना

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- द्विपक्षीय ऊर्जा गतिकी में बदलाव:** रूसी शोधन बुनियादी ढांचे पर लगातार यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने मास्को को फरवरी 2022 के बाद पहली बार महत्वपूर्ण मात्रा में (दो महीनों में लगभग 1 मिलियन बैरल) भारत से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिए मजबूर किया है।
- रूसी रिफाइनरी थ्रूपुट में भारी गिरावट:** ओपेक (OPEC) के आंकड़ों के अनुसार, तेल डिपो और पंपिंग स्टेशनों पर बार-बार होने वाले हमलों के कारण रूसी रिफाइनरी कच्चे तेल प्रसंस्करण क्षमता Q1 2026 में 5.18 मिलियन बैरल प्रति दिन से तेजी से गिरकर Q3 2026 तक 3.88 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गई।
- भारत का घरेलू शोधन रणनीतिक लाभ:** शोधन क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर मौजूद, भारत की उन्नत निजी नेतृत्व वाली रिफाइनरियों ने रूस को पेट्रोल और डीजल जैसे प्रसंस्कृत ईंधन की आपूर्ति करने के लिए इस अभूतपूर्व मांग स्पाइक का कुशलतापूर्वक उपयोग किया है।
- भारतीय कच्चे तेल के आयात में लचीलापन:** भू-राजनीतिक घर्षण और अमेरिकी शुल्कों के बावजूद, जून 2026 तक भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई (31.6%) थी, जो कुल \$531 मिलियन थी।
- मौन वैश्विक नियामक बदलाव:** पश्चिम एशियाई तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के साथ संभावित नाकेबंदी के बाद, वैश्विक आपूर्ति झटकों को रोकने के लिए वैश्विक बाजारों में रूसी कच्चे तेल के प्रवाह की मौन स्वीकृति देखी गई।
- भारत के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक लाभ:** रूस को उच्च मूल्य वाले परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते निर्यात से भारत को अपने व्यापार घाटे को कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने में मदद मिलती है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- रिफाइनरी थ्रूपुट (Refinery Throughput):** एक निर्दिष्ट परिचालन समय सीमा के भीतर एक रिफाइनरी सुविधा द्वारा प्रसंस्कृत और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों में परिवर्तित कच्चे तेल की कुल मात्रा।
- मूल्य-वर्धित पेट्रोलियम निर्यात (Value-Added Petroleum Exports):** कच्चे, अप्रसंस्कृत कच्चे तेल का आयात करने, इसे उच्च-ग्रेड तैयार ईंधन (डीजल, जेट ईंधन, गैसोलीन) में परिष्कृत करने और उच्च लाभ मार्जिन के लिए इसे फिर से निर्यात करने की आर्थिक प्रक्रिया।
- होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz):** फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग (chokepoint), जो वैश्विक पेट्रोलियम तरल खपत के पांचवें हिस्से से अधिक को संभालता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** केंद्र सरकार को कच्चे तेल और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों सहित आवश्यक रणनीतिक वस्तुओं के आयात और निर्यात संचालन को विनियमित, सुगम और प्रतिबंधित करने का कानूनी अधिकार देता है।
- **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) अधिनियम, 2006:** पूरे भारत में डाउनस्ट्रीम रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करने के लिए वैधानिक निगरानी तंत्र प्रदान करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** रणनीतिक विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा हितों का प्रबंधन करते समय राज्य को अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

संरचनात्मक बदलाव जो भारत को रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता में बदलता है, भारत के मजबूत शोधन वास्तुकला को रेखांकित करता है। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के साथ रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करना भारत को बाहरी भू-राजनीतिक व्यवधानों को राष्ट्रीय आर्थिक लचीलेपन में बदलने में सक्षम बनाता है।

यूपीएससी प्रासंगिकी (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बुनियादी ढांचा):** भारत की वैश्विक शोधन क्षमता, ऊर्जा व्यापार संतुलन, विदेशी मुद्रा स्थिरता और डाउनस्ट्रीम तेल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण।
- **जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** भारत-रूस रणनीतिक संबंधों, ऊर्जा कूटनीति, द्वितीयक प्रतिबंध जोखिम, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरचना के बीच रणनीतिक स्वायत्तता का विश्लेषण करने वाले प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।

8. एफसीआरए विधेयक में संवैधानिक दरारें (Faultlines)

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **नियंत्रण का वैधानिक विस्तार:** विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 एक "नामित प्राधिकरण" (Designated Authority) ढांचा स्थापित करता है जो केंद्र सरकार को उन संगठनों के विदेशी योगदान और संपत्तियों को अनंतिम रूप से निहित करने, प्रबंधित करने और उनका निपटान करने का अधिकार देता है जिनके FCRA प्रमाणपत्र रद्द, समर्पित (surrendered), या नवीनीकृत नहीं किए गए हैं।
- **स्वामित्व से परे प्रबंधन हस्तक्षेप:** यह विधेयक कार्यकारी अधिकारियों को सार्वजनिक हित में संस्थागत गतिविधियों (जैसे, अस्पताल, स्कूल, अनुसंधान प्रयोगशालाएं) का अधिग्रहण करने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है, जिससे राज्य की कार्रवाई बाहरी वित्तीय निगरानी से सीधे परिचालन हस्तक्षेप में स्थानांतरित हो जाती है।

- आनुपातिकता के सिद्धांत (Doctrine of Proportionality) पर चिंताएं:** हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा और फंड ट्रेकिंग वैध राज्य लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रस्तावित व्यापक कार्यकारी विवेक संवैधानिक आनुपातिकता के तहत सवाल उठाता है कि क्या कम प्रतिबंधात्मक उपाय फंड के दुरुपयोग को रोक सकते हैं।
- स्थायी संपत्ति निहित होने के जोखिम:** ऐसे मामलों में जहां निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर FCRA पंजीकरण बहाल नहीं किया जाता है, अनंतिम नियंत्रण सरकार द्वारा गैर-सरकारी संपत्तियों के स्थायी अधिग्रहण और निपटान में बदल जाता है।
- नागरिक समाज पर संचयी प्रभाव:** विदेशी फंडिंग पात्रता खोने से परे FCRA स्थिति खोने के परिणामों का विस्तार करके संपत्ति जब्ती और प्रशासनिक अधिग्रहण को शामिल करना गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए महत्वपूर्ण परिचालन कमजोरियां पैदा करता है।
- न्यायिक सुरक्षा उपायों की जांच:** यद्यपि पंजीकरण बहाली पर न्यायिक अपील, संशोधन और संपत्ति बहाली का प्रावधान मौजूद है, संभावित प्रशासनिक अतिरेक को रोकने के लिए इन सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता के लिए स्पष्ट मानकों की आवश्यकता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- नामित प्राधिकरण (Designated Authority):** FCRA ढांचे के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक वैधानिक अधिकारी या संस्था जो उन संस्थाओं की संपत्तियों और गतिविधियों का कब्जा लेने, प्रबंधन करने और निगरानी करने के लिए अधिकृत है जिनके FCRA पंजीकरण समाप्त हो जाते हैं।
- आनुपातिकता का सिद्धांत (Doctrine of Proportionality):** एक न्यायिक परीक्षण जिसमें यह माना जाता है कि संवैधानिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कार्यकारी या विधायी उपायों को एक वैध उद्देश्य का पीछा करना चाहिए, उस उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ा होना चाहिए, और आवश्यक न्यूनतम प्रतिबंधात्मक साधनों का उपयोग करना चाहिए।
- अनंतिम निहित होना (Provisional Vesting):** वैधानिक समाधान लंबित रहने तक सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण को संस्थागत परिसंपत्तियों और परिचालन संपत्तियों की हिरासत, प्रबंधन और नियंत्रण का अस्थायी कानूनी हस्तांतरण।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010:** राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए विदेशी आतिथ्य या धन की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने वाला मौलिक वैधानिक अधिनियम।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c):** संघ या संगठन बनाने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें नागरिक समाज संस्थानों की अपने वैध आंतरिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता शामिल है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A:** यह निर्देश देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, जिसके लिए निजी संपत्तियों को जब्त करने या निहित करने वाली कानूनी कार्रवाइयों में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का पालन करना आवश्यक है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता और गैर-मनमाना, गैर-आनुपातिक राज्य कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा का आश्वासन देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

विदेशी वित्तीय प्रवाह को विनियमित करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक वैध राज्य अभ्यास है; हालांकि, कार्यकारी प्रबंधन और संपत्ति जब्ती तक विधायी नियंत्रण का विस्तार संवैधानिक सीमाओं का परीक्षण करता है। स्पष्ट सुरक्षा उपाय, सीमित विवेक और शीघ्र न्यायिक समीक्षा स्थापित करने से नागरिक समाज की स्वायत्तता के साथ राज्य सुरक्षा प्राथमिकताओं को संतुलित करने में मदद मिलेगी।

यूपीएससी प्रासंगिकी (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (राजव्यवस्था, शासन और नागरिक समाज):** नागरिक समाज संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को विनियमित करने वाले नियामक ढांचे, अनुच्छेद 19 और 300A के तहत मौलिक अधिकार, और प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण।
- मुख्य परीक्षा अनुप्रयोग (Mains Application):** राज्य की सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संवैधानिक आनुपातिकता का सिद्धांत, वैधानिक प्रत्यायोजित विधान (statutory delegated legislation), और एनजीओ जवाबदेही पर प्रश्नों के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

9. क्या प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Jurists) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं?

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- अनुप्रयुक्त संवैधानिक प्रावधान:** सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने रेखांकित किया कि संविधान का अनुच्छेद 124(3)(c), जो एक "प्रतिष्ठित विधिवेत्ता" (distinguished jurist) को शीर्ष अदालत में नियुक्त करने की अनुमति देता है, 76 से अधिक वर्षों से अप्रयुक्त रहा है।
- संविधान सभा की मंशा:** एच.वी. कामथ और एम. अनंतशयनम आयोग जैसे संविधान निर्माताओं ने 24 मई 1949 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा हार्वर्ड के प्रोफेसर फेलिक्स फ्रैंकफर्टर की नियुक्ति से प्रेरणा लेते हुए कानूनी विद्वानों को शामिल करके पीठ में विविधता लाने के लिए इस श्रेणी को पेश किया था।
- उच्च न्यायालय में शामिल करने की विफलता:** 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1976) ने उच्च न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 217 में "प्रतिष्ठित विधिवेत्ता" श्रेणी को संक्षेप में जोड़ा, लेकिन बिना उपयोग किए 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1978) द्वारा इसे जल्द ही निरस्त कर दिया गया।
- अकादमिक नियुक्ति में बाधाएं:** प्राथमिक संरचनात्मक बाधाओं में कॉलेजियम की पारंपरिक न्यायिक और बार पदोन्नति चैनलों पर निर्भरता, शिक्षाविदों के बीच अदालती प्रक्रिया के अनुभव की कमी और बार काउंसिल के प्रतिबंध शामिल हैं।
- बार काउंसिल नियम 49 के प्रतिबंध:** बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) नियमों का नियम 49 पूर्णकालिक वेतनभोगी कानून प्रोफेसरों को अदालतों में वकीलों के रूप में प्रैक्टिस करने से रोकता है, जिससे अकादमिक सिद्धांत और सक्रिय अभ्यास के बीच अंतर बढ़ता है।
- सुधार का आह्वान:** कानूनी विद्वान और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का कंसोर्टियम "किताबी कानून" और "व्यवहार में कानून" के बीच तालमेल बिठाने के लिए कानून संकाय पर अभ्यास प्रतिबंधों को ढीला करने की वकालत करता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Distinguished Jurist):** एक प्रतिष्ठित कानूनी विद्वान, दार्शनिक या अकादमिक जिन्हें अदालती मुकदमेबाजी के अनुभव की परवाह किए बिना न्यायशास्त्र, वैधानिक व्याख्या और कानूनी सिद्धांतों में असाधारण महारत के लिए पहचाना जाता है।
- **न्यायिक संयम (Judicial Restraint):** एक न्यायिक दर्शन जो न्यायाधीशों को अपनी शक्ति के प्रयोग को सीमित करने और निर्वाचित विधायी और कार्यकारी निकायों को स्थगित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जब तक कि कार्य संविधान का उल्लंघन न करें।
- **BCI नियमों का नियम 49:** एक नियामक नियम जो यह अनिवार्य करता है कि पूर्णकालिक वेतनभोगी रोजगार में प्रवेश करने वाले किसी भी वकील को ऐसे रोजगार के दौरान अदालतों के सामने वकालत करने के अपने अधिकार को समर्पित करना होगा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(3):** सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए तीन वैकल्पिक योग्यताओं को निर्दिष्ट करता है: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष, उच्च न्यायालय के वकील के रूप में 10 वर्ष, या राष्ट्रपति की राय में एक "प्रतिष्ठित विधिवेत्ता"।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें से "प्रतिष्ठित विधिवेत्ता" खंड को 1976 में जोड़ा गया था और 1978 में हटा दिया गया था।
- **बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम (नियम 49):** वैधानिक विनियमन जो शैक्षणिक संकाय सहित पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सक्रिय रूप से कानून का अभ्यास करने से रोकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

अनुच्छेद 124(3)(c) के तहत "प्रतिष्ठित विधिवेत्ता" मार्ग को लागू करना सुप्रीम कोर्ट के न्यायशास्त्र को गहरे अकादमिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण से समृद्ध कर सकता है। कानून प्रोफेसर्स के लिए प्रैक्टिस प्रतिबंधों को सरल बनाना और कॉलेजियम के विचार का विस्तार करना एक समावेशी न्यायपालिका के निर्माण में मदद करेगा।

यूपीएससी प्रासंगिकी (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** न्यायिक नियुक्तियों, कॉलेजियम प्रणाली, अनुच्छेद 124 के तहत संवैधानिक योग्यताओं, न्यायिक सुधारों और संविधान सभा की बहसों पर प्रश्नों के लिए सीधे प्रासंगिक।
- **मुख्य परीक्षा अनुप्रयोग (Mains Application):** सुप्रीम कोर्ट की पीठ में विविधता, न्यायिक नीति निर्माण में अकादमिक एकीकरण, और कानूनी शिक्षा तथा अभ्यास में संरचनात्मक सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषणात्मक संदर्भ प्रदान करता है।

10. गंगा संधि पर बिहार की चिंताओं पर विचार किया जाएगा

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- गंगा जल संधि की समाप्ति:** भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 की द्विपक्षीय गंगा जल बंटवारा संधि 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है, जिससे इसका संभावित नवीनीकरण एक प्रमुख कूटनीतिक प्राथमिकता बन गया है।
- बिहार से आपत्तियां:** वरिष्ठ जद(यू) नेता संजय झा ने केंद्र सरकार से मौजूदा रूप में संधि का नवीनीकरण न करने का आग्रह किया, यह तर्क देते हुए कि इसने ऊपरी प्रवाह में गाद (siltation) जमा होने और मौसमी जल की कमी पैदा करके 30 वर्षों तक बिहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- विदेश मंत्रालय द्वारा आश्वासन:** विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आश्वासन दिया कि संधि के भविष्य के बारे में निर्णय लेते समय बिहार की सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा।
- अंतर-मंत्रालयी हितधारक परामर्श:** जल शक्ति मंत्रालय ने शर्तों को अंतिम रूप देने से पहले एक व्यापक आम सहमति स्थापित करने के लिए बिहार राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व सहित कई अंतर-मंत्रालयी बैठकें की हैं।
- अतीत के गुजराल सिद्धांत की समीक्षा:** 1996 के समझौते की राज्य नेतृत्व द्वारा 'गुजराल सिद्धांत' के तहत एकतरफा रियायतों के उत्पाद के रूप में आलोचना की गई है जो भारत के भीतर ऊपरी तटवर्ती अधिकारों (upstream riparian rights) की रक्षा करने में विफल रहा।
- कूटनीतिक विलंब:** बांग्लादेश में जारी राजनीतिक परिवर्तनों और तनावपूर्ण द्विपक्षीय आदान-प्रदान ने संधि की समाप्ति तिथि से पहले शीर्ष स्तरीय वार्ता शुरू करने में जटिलताएं बढ़ा दी हैं।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- गंगा जल संधि (1996):** भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक समझौता, जो फरवका बैराज पर गंगा नदी के शुष्क मौसम (lean-season) के पानी को साझा करने के लिए 30 साल का फॉर्मूला स्थापित करता है।
- गुजराल सिद्धांत (Gujral Doctrine):** 1990 के दशक के उत्तरार्ध में तैयार की गई एक विदेश नीति पहल, जिसमें कहा गया था कि दक्षिण एशिया में बड़े पड़ोसी के रूप में भारत को बिना किसी पारस्परिकता (non-reciprocal) के अपने छोटे पड़ोसियों को रियायतें देनी चाहिए।
- अपस्ट्रीम सिल्टेशन (Upstream Siltation):** नदी प्रणाली के ऊपरी हिस्सों में नदी द्वारा लाई गई गाद का अत्यधिक संचयन, जो अक्सर निचले स्तर पर बैराज संचालन के कारण होता है, जिससे जल धारण क्षमता कम हो जाती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253:** विदेशी देशों के साथ किसी भी संधि, समझौते या सम्मेलन को लागू करने के लिए संसद को भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
- सातवीं अनुसूची (सूची I, प्रविष्टि 10 और 14):** विदेश मामलों, संधि निर्माण और विदेशी देशों के साथ समझौते करने के संबंध में संघ सरकार को विशेष विधायी शक्तियां प्रदान करती है।
- सातवीं अनुसूची (सूची II, प्रविष्टि 17):** सूची I प्रविष्टि 56 (अंतरराज्यीय नदियाँ) के अधीन रहते हुए जल, सिंचाई, नहरें, जल निकासी और जल भंडारण राज्य सूची को सौंपती है।

- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** केंद्रीय संधि जनादेश और राज्य के जल अधिकारों के बीच समन्वय की आवश्यकता वाले साझा नदी घाटियों को आंतरिक रूप से प्रबंधित करने के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

सतत नदी बेसिन प्रबंधन के लिए आंतरिक संघीय हितों के साथ अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों को संतुलित करना आवश्यक है। सीमा पार जल वार्ताओं में वैज्ञानिक आकलन और क्षेत्रीय राज्य चिंताओं को शामिल करने से क्षेत्रीय कूटनीतिक स्थिरता बनाए रखते हुए घरेलू जल सुरक्षा की रक्षा करने में मदद मिलती है।

यूपीएससी प्रासंगिकी (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (राज्यव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंध):** भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों, सीमा पार जल संधियों, विदेश नीति में संघवाद और अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर केंद्र-राज्य समन्वय पर प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
- **जीएस पेपर III (पर्यावरण और आपदा प्रबंधन):** गंगा बेसिन में नदी गाद जमने, बाढ़ प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन और बड़े बांधों/बैराजों के पारिस्थितिक प्रभावों पर चर्चा के लिए सीधे लागू।

11. फॉरेक्स स्वैप (Forex Swap) से \$136 बिलियन से अधिक की कमाई

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा प्रवाह:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की विशेष USD-INR विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा के माध्यम से जुटाया गया विदेशी मुद्रा प्रवाह बाजार के शुरुआती अनुमानों को पार करते हुए \$136,377 मिलियन तक पहुंच गया।
- **पूंजी का विवरण:** RBI द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि \$127,226 मिलियन विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [FCNR(B)] जमा के माध्यम से, \$5,260 मिलियन विदेशी मुद्रा उधार (OFCBs) के माध्यम से, और \$3,891 मिलियन बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) के माध्यम से जुटाए गए थे।
- **बाहरी अस्थिरता को कम करना:** RBI ने उच्च वैश्विक तेल कीमतों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा इक्विटी बिक्री के कारण होने वाले गंभीर विदेशी मुद्रा बहिर्वाह का मुकाबला करने के लिए 8 जून को इस सुविधा की शुरुआत की थी।
- **शॉर्ट फॉरवर्ड डॉलर पोজীशन बंद करना:** केंद्रीय बैंक प्राप्त डॉलर का उपयोग अपने \$137 बिलियन के बकाया शॉर्ट फॉरवर्ड पोজীशन को रोल ओवर करने के बजाय निपटाने के लिए प्राथमिकता दे सकता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त रुपये की तरलता को अवशोषित किया जा सके।
- **तरलता और मुद्रास्फीति प्रबंधन:** RBI ने कॉल दरों को नीतिगत दर के साथ संरेखित रखने और मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने के लिए अधिशेष रुपये की तरलता (लगभग ₹6.5 लाख करोड़) को सक्रिय रूप से अवशोषित किया है।

- **वाणिज्यिक बैंक बैलेंस शीट को मजबूत करना:** बैंकों से उम्मीद की जाती है कि वे इस तरलता का उपयोग अपनी संपत्ति-पक्ष की बैलेंस शीट को मजबूत करने, महंगे थोक जमा पर निर्भरता कम करने और दीर्घकालिक ऋण वृद्धि को वित्तपोषित करने के लिए करेंगे।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **फॉरेक्स स्वेप (Forex Swap):** एक वित्तीय समझौता जहां दो पक्ष विभिन्न मुद्राओं में मूलधन और ब्याज का आदान-प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग केंद्रीय बैंकों द्वारा तरलता और मुद्रा अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है।
- **FCNR(B) जमा:** गैर-आवासीय भारतीयों (NRIs) को दी जाने वाली विदेशी मुद्राओं में सावधि जमा, जिससे वे विदेशी मुद्रा जोखिम के बिना विदेशी मुद्रा में धन बनाए रख सकते हैं।
- **शॉर्ट फॉरवर्ड डॉलर पोजीशन (Short Forward Dollar Position):** मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंध (currency derivative contracts) जिनमें केंद्रीय बैंक स्थानीय मुद्रा की रक्षा के लिए एक पूर्व निर्धारित भावी तिथि पर अमेरिकी डॉलर बेचने के लिए प्रतिबद्ध होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934:** RBI को विदेशी मुद्रा भंडार (धारा 17) का प्रबंधन करने और राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता तथा तरलता संचालन को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां प्रदान करता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** बाहरी व्यापार, विदेशी मुद्रा लेनदेन, सीमा पार पूंजी प्रवाह और विदेशी मुद्रा खातों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:** भारत के भीतर काम करने वाले वाणिज्यिक बैंकों के तरलता अनुपात, संपत्ति की गुणवत्ता और परिचालन ढांचे को विनियमित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

विशेष फॉरेक्स स्वेप के माध्यम से \$136 बिलियन से अधिक का जुटान RBI द्वारा प्रभावी सक्रिय तरलता प्रबंधन को दर्शाता है। अधिशेष रुपये की तरलता को अवशोषित करने और फॉरवर्ड डॉलर पोजीशन को बंद करने से ऋण विस्तार को समर्थन देते हुए वैश्विक दुष्प्रभावों के खिलाफ महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

यूपीएससी प्रासंगिकी (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति):** RBI के मौद्रिक नीति उपकरणों, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, तरलता प्रबंधन, विनिमय दर स्थिरीकरण और भुगतान संतुलन पर प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
- **मुख्य परीक्षा अनुप्रयोग (Mains Application):** पूंजी बहिर्वाह के दौरान केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप का विश्लेषण करने, व्यवस्थित तरलता का प्रबंधन करने और बाहरी क्षेत्र के लचीलेपन का आकलन करने के लिए मात्रात्मक डेटा और संरचनात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

12. सरकार ने जनजातीय स्कूल मौतों पर 2016 की रिपोर्ट की समीक्षा की

मुख्य बिंदु और सारांश (Key Highlights & Summary)

- साळुंखे समिति के निष्कर्षों पर पुनर्विचार:** जनजातीय आवासीय संस्थानों में खराब स्थितियों को लेकर छात्रों के व्यापक विरोध के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने आश्रम स्कूलों में टालने योग्य मौतों को संबोधित करने के लिए 2016 की समिति की रिपोर्ट पर पुनर्विचार किया है।
- छात्रों की टालने योग्य मृत्यु दर:** स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व महानिदेशक डॉ. सुभाष साळुंखे के नेतृत्व वाली समिति ने खुलासा किया कि 2001 और 2016 के बीच जनजातीय आश्रम स्कूलों में दर्ज 1,077 छात्र मौतों में से 793 मौतें टालने योग्य थीं।
- स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में कमियां:** प्रमुख सिफारिशें पूर्णकालिक नर्सों की तैनाती, आपातकालीन एम्बुलेंस नेटवर्क के उन्नयन, परिसर जोखिम आकलन करने और जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं हैं वहां निजी चिकित्सा चिकित्सकों को काम पर रखने पर जोर देती हैं।
- कर्मचारी और समाज कल्याण जनादेश:** पैनल शिक्षकों, रसोइयों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और महिला अधीक्षकों सहित रिक्त पदों को तुरंत भरने के साथ-साथ छात्रों के मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को तैनात करने का आग्रह करता है।
- रसोई का कायाकल्प और अकादमिक सहायता:** यह उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए रसोई और भोजन सेवाओं में सुधार की सिफारिश करता है, साथ ही आश्रम स्कूल प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए IIT और IIM जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी करने की सिफारिश करता है।
- समयबद्ध कार्यान्वयन कार्य योजना:** जनजातीय विकास विभाग को रिपोर्ट की जांच करने, कार्रवाई योग्य सिफारिशों की पहचान करने और एक संरचित, समयबद्ध कार्यान्वयन योजना तैयार करने के लिए तीन महीने की समय सीमा दी गई है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- आश्रम स्कूल (Ashram Schools):** अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को मुफ्त आवास, शिक्षा और पोषण प्रदान करने के लिए जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थापित सरकारी या सरकार सहायता प्राप्त आवासीय शैक्षणिक संस्थान।
- सोशल ऑडिट (Social Audit):** एक मूल्यांकन ढांचा जिसके माध्यम से आधिकारिक रिकॉर्ड, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और संस्थागत प्रदर्शन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों की भागीदारी के साथ व्यवस्थित रूप से जांच की जाती है।
- जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment):** छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जोखिमों को कम करने के लिए परिसर सुरक्षा खतरों, स्वच्छता, स्वास्थ्य कमजोरियों और पर्यावरणीय कारकों का एक व्यवस्थित मूल्यांकन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें संस्थागत बच्चों के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षित रहने की स्थिति और मानवीय गरिमा का अधिकार शामिल है।
- अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009:** 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य करता है, जो स्कूलों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षक-छात्र अनुपात के लिए वैधानिक मानदंड स्थापित करता है।

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46:** राज्य को विशेष देखरेख के साथ अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय तथा शोषण से उनकी रक्षा करने का निर्देश देता है।
- **संविधान की पांचवीं अनुसूची:** जनजातीय कल्याण, सामाजिक उन्नति और बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक ढांचा प्रदान करती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

जनजातीय आश्रम स्कूलों में छात्रों की टालने योग्य मौतों को संबोधित करने के लिए प्रतिक्रियाशील नीतिगत उपायों से आगे बढ़कर विशेषज्ञ सिफारिशों के निरंतर, सुसंगत कार्यान्वयन की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवा पहुंच, परिसर के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने से हाशिए पर मौजूद जनजातीय युवाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित होगा।

यूपीएससी प्रासंगिकी (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (शासन, सामाजिक न्याय और राजव्यवस्था):** जनजातीय कल्याण पहलों, आश्रम स्कूलों के संस्थागत प्रशासन, RTE अधिनियम के कार्यान्वयन और कमजोर समूहों के मानवाधिकारों से संबंधित विषयों के लिए सीधे प्रासंगिक।
- **मुख्य परीक्षा अनुप्रयोग (Mains Application):** जनजातीय विकास अंतराल, दूरस्थ क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण, सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र और सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों में शासन की जवाबदेही पर प्रश्नों के लिए नीतिगत डेटा और सिफारिशें प्रदान करता है।

